P: ISSN NO.: 2394-0344 RNI No.UPBIL/2016/67980 VOL-4* ISSUE-1* (Part-2) April- 2019
E: ISSN NO.: 2455-0817 *Remarking An Analisation*

महिलाओं की आर्थिक स्वायत्तता का उनकी निर्णय क्षमता पर प्रभाव का अध्ययन

A Study of the Effect of Women's Economic Self-Reliance on Their Decision –Making Capacity

हरवीर सिंह चौधरी
असिस्टेंट प्रोफेसर,
अर्थशास्त्र विभाग,
जे0 वी0 जैन कॉलेज,
सहारनपुर, उत्तर प्रदेश, भारत

सारांश

भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिये अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। उसके उपरान्त भी महिलाएं निर्णय के अधिकार में पुरूषों से बहुत पीछे हैं। उच्च प्रबन्धकीय पदों पर विगत वर्षों में महिलाओं की भागीदारी में कुछ सुधार हुआ है। उसके उपरान्त भी यह प्रतिशत 10 के आस–पास ही है। जो वैश्विक प्रतिशत के आधे से भी कम है। प्रस्तुत शोध पत्र में महिलाओं को आर्थिक स्वायत्तता के साथ उनके निर्णय लेने की क्षमता पर प्रभाव का विश्लेषण किया गया हैं और यह पाया गया कि आर्थिक स्वायत्तता महिलाओं को निर्णय लेने के अधिकार में वृद्वि करती हैं।

मुख्य शब्द : आर्थिक स्वायत्तता, निर्णय अधिकार।

प्रस्तावना

भारत एक कृषि प्रधान एवं आस्थावान देश है। जहाँ पशु, पंछी,वृक्ष और पत्थरों तक को भी पूजा जाता है। यहाँ की भूमि विश्व में तपोभूमि के नाम से जानी जाती है। इस देश का अतीत विश्व के सम्पूर्ण राष्ट्रों से अधिक सम्पन्न है, और इस सम्पन्नता का आधार इस देश की सभ्यता है। वेदों, शास्त्रों एवं विभिन्न पुराणों, स्मृतियों के अनुसार स्त्री को पूज्यनीय माना है। परन्तु अन्य देशों के भारत पर अधिकारों के साथ साथ उन राष्ट्रों की सभ्यताओं का हमारी सभ्यता पर प्रभाव बढता गया जिसके परिणामतः स्त्रियों की स्थिति खराब होती गयी सदियों से भेदभाव एंव शोषण सहते–सहते महिला निःशक्त हो गयी और इसका दायरा संकुचित होकर चूल्हे–चौके तक सीमित होकर रह गया। पुरूष प्रधान समाज में महिलाओं को एक उपभोग की वस्तु मान लिया गया जिसका धर्म निर्देशों/आदेशों का पालन करना अनिवार्य बन गया जबकि वह स्वयं भी एक स्वतन्त्र नागरिक है तथा उसे भी स्वतन्त्रतापूर्वक जीने का अधिकार है।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार द्वारा महिलाओं की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए अनेक योजनाएं बनायी गई। स्कूल–कॉलेजों में पढ़ाई के साथ उनके लिए विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई। परिणामस्वरूप आज देश में सामाजिक, आर्थिक और व्यवसायिक क्षेत्रों में महिलाऐं अपने गुण और शिक्षा के दम पर बडी संख्या में डॉक्टर, प्रोफेसर, प्रशासनिक अफसर, वकील, जज तथा इन्जीनियर आदि हैं। उच्चतमन्यायालय के न्यायाधीश, संघ लोकसेवा आयोग एव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग व लोकसभा के अध्यक्ष, प्रधानमंत्री एंव राष्ट्रपति का पदभार महिलाओं ने बखूबी निभाया लेकिन विभिन्न स्तरों से होने वाले तथाकथित प्रयासों के बाद भी महत्वपूर्ण पदों पर उनकी संख्या नगण्य ही है। स्वतन्त्रता के 71 वर्षों के बाद भी देशों में वरिष्ठतम् प्रबंधकीय पदों पर महिलाओं की संख्या बहुत कम है। ग्रांटथोरंटन की इंटरनेशनल विजनेस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर वर्तमान में 20 प्रतिशत वरिष्ठ प्रबंधकीय पदों पर महिलाऐं हैं। यह संख्या 2009 में 24 प्रतिशत थी। लेकिन भारत में यह प्रतिशत 10 से भी कम है। (लाइव हिन्दुस्तान 10 मार्च 2011) जिससे आभास होता है। कि इस दिशा में प्रयासों में तेजी लाने की आवश्यकता है। यदि हम विश्व की

महिलाओं के सन्दर्भ में विचार करें तो लैगिक समानता के आधार पर किये गये अध्ययन मे विश्व की महिलाओं के औसत अंक 74.71 है। अर्थात् महिलाओं को पुरूषों की तुलना में 3/4 प्रतिशत अधिकार प्राप्त है। यह स्थिति मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के देशों में और भी बद्तर हैं पुरूषों की तुलना महिलाओं को यहाँ औसतन आधे से भी कम अधिकार प्राप्त हुए है।

महिला श्रमशक्ति भागीदारी दर 2016बनाम 1980

क्रम सं0	देश	कामकाजी महिलाओं का % (1980)	कामकाजी महिलाओं का % (2016)	प्रतिशत परिर्वतन
1	अमेरिका	51.51	56.80	5.29
2	इंग्लैण्ड	35.92	57.48	21.56
3	इटली	32.34	40.45	8.11
4	ब्राजील	30.06	51.88	21.82
5	भारत	(1981) 32.87	(2012) 23.35	–09.52
6	इण्डोनेशिया	37.07	50.94	13.87
7	पाकिस्तान	07.04	(2015) 24.22	17.18
8	बांग्लादेश	(1981) 04.48	33.19	28.71
9	श्रीलंका	(1981) 20.80	35.87	15.07
10	थाईलैण्ड	76.59	60.18	–16.41
11	न्यूजीलैण्ड	28.27	64.52	36.25
12	सिंगापुर	44.29	60.38	16.09
13	ईराक	(1982) 11.48	16.29	04.81
14	ईरान	(1977) 15.77	(2012) 11.90	–03.87

स्रोत – विश्व बैंक रिपोर्ट

रूस जैसे विशाल, सम्पन्न और विकसित देश में वहॉ की कुल जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत 53 के लगभग है। वहीं शैक्षिक तथा आर्थिक दृष्टि से महिलाओं की स्थिति काफी अच्छी है। वहॉ की 47 प्रतिशत महिलाऐं रोजगार में लगी है और 50 प्रतिशत से अधिक महिलाऐं विशिष्ट उच्चतर शिक्षा प्राप्त हैं। लेकिन राजनैतिक क्षेत्र में उनका प्रतिनिधित्व कम होने के कारण वहाँ पिछले कुछ वर्षो में राजनीति में महिलाओं की भागदारी बढाने के तीव्रतम प्रयास किये जा रहे हैं। भारत में वर्ष 1993 में "वीमेंन आफ एशिया" नामक एक राजनीतिक संगठन बनाया गया जिसकी 21 सदस्यों ने 1993 में संसदीय चुनाव में विजय हासिल की और तब से वहाँ महिला राजनीतिज्ञों की संख्या में निरन्तर वृद्वि हो रही हैं। वर्ष 1997 में रूस के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री बोरिस येल्तसिन ने महिलाओं की राजनीति तथा प्रशासन में उच्च पदों पर अधिक प्रतिनिधित्व देने के लिए उनके हित में एक अध्यादेश भी जारी किया था। जिसमें पहली बार वहॉ विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के लिए कोटा निर्धारित करने की बात शुरू हुई। भारत में त्रिस्तरीय पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी के लिए की गई व्यवस्था एक क्रान्तिकारी कदम रही है। 73वें और 74वें संविधान संशोधन के परिणामस्वरूप देश की ग्रामीण एवं नगरीय दोनों पंचायतों में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण की व्यवस्था हो जाने से लगभग 14 लाख महिलाओं को जनप्रतिनिधियों के रूप में विभिन्न प्रकार के उत्तरदायित्व एवं अधिकार प्राप्त हए हैं। अब उन्हें लोकतन्त्र के आधारभूत स्तर पर राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने के सुअवसर मिले हैं। पंचायती राज संस्थाओं में इन चुनी हुयी महिला प्रतिनिधियों ने अपवादों को छोडकर अपनी भूमिका सक्षमता से निभाते हुए सिद्व कर दिया है। कि महिलाऐं किसी तरह पुरूषों से कम नहीं हैं। कई राज्यों में विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, मध्यप्रदेश तथा उसके कुछ आदिवासी क्षेत्रों, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के कुछ भागों मे इन चुनी हुई महिलाओं ने सामाजिक बुराइयों तथा अन्याय के प्रति संधर्ष का विगुल बजाकर उन पर नियन्त्रण पाने में आशातीत सफलताऐं अर्जित कर अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किए हैं।

उपरोक्त के सन्दर्भ में शैक्षिक एवं आर्थिक प्रबन्धन में महिलाओं की भूमिका को कम करके नही आंका जा सकता हैं प्रस्तुत शोध पत्र महिलाओं की प्रबन्धन एवं प्रशासन से सशक्त भूमिका एवं निर्णय क्षमता का विश्लेषण करता है। इस शोधपत्र में मुख्य रूप से महिलाओं की आर्थिक स्वायत्तता एवं उसके कारण मिलने वाले निर्णय अधिकार के मध्य सहसम्बन्ध स्थापित करते हुए महिला सशक्तिकरण की विवेचना की गयी है, साथ ही महिला स्वायत्तता का उनके परिवार नियोजन के कार्यक्रमों पर पडने वाले प्रभावों का अध्ययन किया गया है। इसके अतिरिक्त शोधपत्र पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम विकास योजनाओं में महिला सशक्तिकरण हेतु उठाये गये विभिन्न कदम पर भी विचार करता है प्रस्तुत शोधपत्र लिखने हेतु सर्वेक्षणकर्ता ने आगरा प्ररिक्षेत्र के विभिन्न ग्राम सभाओं का सर्वेक्षण किया। इसके अतिरिक्त कार्यरत महिलाओं को मिलने वाले अधिकार और उनकी स्वायत्तता का मूल्यांकन करने का प्रयास किया है।

शोध संरचना

प्रस्तुत शोधपत्र में महिलाओं के आर्थिक स्वायत्त होने और निर्णय के अधिकार के मध्य सहसम्बन्ध ज्ञात कर यह जानने का प्रयास किया गया है कि जैसे – जैसे आय वृद्वि होती है क्या उससे महिलाऐं निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होती है और यदि हाँ तो कितनी? प्राथमिक समंको के माध्यम से पॉच विभिन्न प्रथम दृष्टया महिला प्रधान दिखने वाले क्षेत्रों का चयन किया गया हैं। इन पॉचों क्षेत्रों में 50–50 आर्थिक स्वायत्त महिलाओं तथा 50–50 आश्रित महिलाओं का चयन किया गया है तुलनात्मक अध्ययन के लिए आश्रित महिलाऐं समान पृष्ठ भूमि की होने के लिये उन्ही व्यवसायों में कार्य करने वाले पुरूषों की आश्रिता है।

आय तथा निर्णय की स्वतन्त्रता के मध्य सहसम्बन्ध की स्थिति

क्रम सं0	विभिन्न चयनित क्षेत्र	सहसम्बन्ध		औसत
		स्वायत्तवर्ग	आश्रितवर्ग	
1	चिकित्सा	0.83	0.63	0.73
2	सहायक चिकित्सा	0.69	0.18	0.43
3	शिक्षा विभाग	0.83	0.52	0.67
4	पुलिस विभाग	0.85	0.24	0.54
5	चमड़ा उद्योग	0.76	0.34	0.55
	औसत	0.79	0.38	0.58

स्रोत – प्राथमिक संमको के आधार पर

प्रस्तुत अध्ययन में मानसिक श्रम वाले प्रतिष्ठित क्षेत्र चिकित्सा एवं शिक्षा व्यवसायों की आश्रित महिलाओं के निर्णय लेने के अधिकार व परिवारिक आय में मध्यम स्तर का क्रमशः r= 0.63 तथा r= 0.52 सहसम्बन्ध है। शारीरिक श्रम प्रधान व्यवसाय वाले परिवारों की आश्रित महिलाओं में यह सहसम्बन्ध निम्न स्तर का है। अतः कहा जा सकता है कि पारिवारिक पृष्ठभूमि महिला सशक्तिकरण को प्रभावित करती है। लेकिन स्पष्ट है कि पारिवारिक आय महिला के अधिकारों का अधिक प्रभावित नही करती है। बल्कि यदि महिला स्वयं आर्थिक रूप से स्वायत्त है तो पारिवारिक पृष्ठभूमि की तुलना में स्वयं की आय महिला के अधिकारों को अधिक प्रभावित करती है। अतः कहा जा सकता है कि महिला सशक्तिकरण में महिलाओं की आर्थिक स्वायत्तता अधिक महत्वपूर्ण है। साथ ही परिवार का बौद्विक स्तर भी महिला अधिकारिता को प्रभावित करता है।

परिवार नियोजन सम्बन्धी अधिकार

परिवार के आकार का निर्धारण एक महिला के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि परिवार की देखभाल व संचालन का उत्तरदायित्व महिला पर ही होता है। अतः परिवार के आकार निर्धारण में महिला के अभिमत का पूर्ण सम्मान होना चाहिए। महिलाओं की आर्थिक स्वायत्तता क्या महिला को परिवार नियोजन के लिए अधिकारित करती है? प्रस्तुत शोधपत्र में इस तथ्य को स्पष्ट करने के उद्देश्य से महिलाओं से परिवार को सीमित रखने के निर्णय में उनके निर्णय के अधिकार के विषय में जानकारी एकत्रित की गयी अधिकतर बुद्वजीवी महिलाओं द्वारा नियोजन के पक्ष में विचार व्यक्त किये गये थे।

क्रम सं0	क्षेत्र	निर्णय का अधिकार है		निर्णय का अधिकार नही है	
		स्वायत्त	आश्रित	स्वायत्त	आश्रित
1	चिकित्सा	35	33	15	17
2	सहायक चिकित्सा	40	23	10	27
3	शिक्षा विभाग	40	47	10	3
4	पुलिस विभाग	39	8	11	42

5	चमड़ा उद्योग	16	3	34	47
	कुल	170 (68%)	114 (45.6%)	80 (32%)	136 (54.4%)

स्रोत – प्राथमिक संमकों के आधार पर

प्रस्तुत तालिका से स्पष्ट है कि जहॉ स्वायत्त वर्ग की 68% (170) महिलाओं की परिवार नियोजन के सन्दर्भ में निर्णय लेने की स्वतन्त्रता है वहीं आश्रित वर्ग की 114 (45.6%) महिलाओं को ही यह स्वतंत्रता प्राप्त है। स्वायत्तता वर्ग की 80(32%) महिलाओं को परिवार नियोजन निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। आश्रित वर्ग की 136(54.4%) महिलाएं ऐसी है जिन्हें परिवार नियोजन के सन्दर्भ में निर्णय लेने की स्वतन्त्रता नहीं है। इन आश्रित महिलाओं में विघवा/अविवाहित/तलाकशुदा महिलाएं शामिल हैं। इस तरह निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि आर्थिक स्वायत्तता निर्णय लेने की (परिवार नियोजन सम्बन्धी) स्वतन्त्रता को प्रभावित करती है। अर्थात् परिवार नियोजन सम्बन्धी निर्णय लेने के लिए अधिकारित करती है।

निष्कर्ष

निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि यदि महिलाओं का सशक्त बनाना है और इस आधी आबादी का योगदान देश, समाज, के विकास में बढाना है तो इन्हें शिक्षा,नौकरी परिवार समाज, तथा राष्ट्र में समानता का दर्जा देना होगा और यह तभी सम्भव है जब इन्हें पुरूषों के समान प्रोत्साहन एवं सहयोग मिले। इसमें सब का कल्याण है और यह राष्ट्र के विकास के लिये उपयुक्त भी है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

नीरा देसाई : "वुमैन इन मॉर्डन इण्डिया" वोहरा एण्ड कम्पनी मुम्बई, 1957

डा० के० के० शर्मा "भारत जनंसख्या 2001 आंकडे", उपकार प्रकाशन आगरा –2

"पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी", राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली

गांटथोरंटन इटरनेशनल विजनेस रिपोर्ट

विश्व बैंक रिपोर्ट (महिला श्रमशक्ति भागीदारी) दर 2016 v/s 1980

लाइव हिन्दुस्तान (10 मार्च 2011)